


कार्यालय आदेश

अपेक्षित हैं कि समस्त अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय (9:30AM) पर कार्यालय में उपस्थित हो तथा पूर्ण कार्यालय समय (6:00PM) तक कार्यालय में उपस्थित रहे। इस संबंध में समय-समय परिपत्र भी जारी किये जा चुके हैं। परन्तु देखा गया है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं ना ही पूर्ण कार्यालय समय तक कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि “वे निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होवे तथा निर्धारित समय से पूर्व कार्यालय न छोड़े”।

साथ ही समस्त कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे सभी प्रकार के अवकाश (विशेष परिस्थिति में आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) का सक्षम स्वीकृति पश्चात् ही उपभोग करें जिससे राजकीय कार्य बाधित ना हो। उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित नहीं होने पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी एवं अधिकारी/कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।



(काना राम)

आयुक्त, कृषि एवं
पंचायती राज (कृषि)

क्रमांक प.2(13)/ओ एण्ड एम/आ.कृ./2022/ 479-605
प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक 19-05-22

1. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, एवं पंचायती राज (कृषि), मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा/समेती (आत्मा) जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान), मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, कृषि (समस्त), मुख्यालय/दुर्गापुरा, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), समस्त खण्ड।
7. उप निदेशक, कृषि (सूचना/अभियान्त्रिकी/बीज), मुख्यालय।
8. एसीपी (उप निदेशक) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद/आत्मा/एटीसी, समस्त।
10. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), समस्त।
11. केयर टेकर, मुख्यालय।
12. आरक्षी पंजिका।


(के0 सी0 मीना)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)